






Sec 2(b) ii submarine missile








Missile include submarine form







Scorpene submarines lack torpedos, navy








initiates secret procurment SUBMARINE




























Sec 2 (b) 5...it's talk about fuses and friction for using Bomb explosive things etc which are harmful

fuscos friction fubes



























SUN

Definitions and interpretation (परिभाषाएं और निर्वचन)—





"ammunition" means ammunition for any firearm, and includes—

VI-IMP-

<u>"गोलाबारूद"</u> से किसी <u>अग्न्यायुध</u> के लिए गोलाबारूद अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत

- (i) rockets, bombs, grenades, shells [and other missiles,] रोकट, <u>बम, ग्रेनेड, गोला [और अन्य अ</u>स्त्र,]
 - article designed for torpedo service and submarine mining,

टारपीडो को काम में लाने और अन्त:समुद्री सुरंगे बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं (stituted (signal) in chases rcarm?





(iii) other articles containing, or designed or adapted to contain, explosive, fulminating or fissionable material or noxious liquid, gas or other such thing, whether capable of use with firearms or not,

विस्फोटक, स्फूर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाली या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं, चाहे वे अग्न्यायुधों के साथ उपयोग के योग्य हों या न हों,

(iv) charges for firearms and accessories for such charges, अग्न्यायुधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन





(v) fuses and friction tubes,

पलीते और घर्षण नलिकाएं,

(vi) parts of, and machinery for manufacturing ammunition and

गोलाबारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशीनरी, और

(vii) such ingredients of ammunition as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf;

गोलाबारूद के ऐसे संघटक जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, आते हैं;






"arms" means articles of any description designed or adapted as weapons for offence or defence, and includes firearms, sharpedged and other deadly weapons, and parts of, and machinery for manufacturing, arms,


"आयुध" से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं और अग्न्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अन्तर्गत आते हैं

Arms incluses firearms?





किन्तु केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, जैसे ल तथा वे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं;






















Gun - Bullets Point Project







fire

Means arms of any description designed or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or other forms of energy and includes—

"अग्न्यायुधों" से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्यों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत हैं, तथा,

kind designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other such thing,

तोपें, हथगोले, रायट-पिस्तौलें या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र,





accessories for any such firearm designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof,

किसी भी ऐसे अग्न्यायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन,

(iji) parts of, and machinery for manufacturing, firearms, and अग्न्यायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी, तथा

carriages, platforms and appliances for mounting, transporting and serving artillery;

तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और साधित्र, इसके अन्तर्गत आते हैं








"licence" means a licence issued in accordance with the provisions of this Act and rules made there under and includes a licence issued in the electronic form;

"अनुज्ञापन प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करनेके लिए सशक्त आफिसर या प्राधिकारी अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सरकार आती है;


Nex Provision Sec. 2(1)















(h) "prohibited ammunition" means any ammunition containing, or designed or adapted to contain, any noxious liquid, gas or other such thing, and

"प्रतिषिद्ध गोलाबारूद" से किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाला, या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोलाबारूद अभिप्रेत है और

includes rockets, bombs, grenades, shells, [missiles,] articles designed for torpedo service and submarine mining and such other articles as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited ammunition;





रोकट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अन्त:समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध गोलाबारूद होना विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत आती हैं;







"prohibited arms" means—

"प्रतिषिद्ध आयुधों" से



firearms so designed or adapted that, if pressure is applied to the trigger, missiles continue to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty, or

वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाए, अस्त्र छूटते रहें, अथवा







weapons of any description designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other such thing, and includes artillery, anti-aircraft and anti-tank firearms and such other arms as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited arms;

किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर, द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हों, अभिप्रेत हैं, और इनके अन्तर्गत तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्नायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जैसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करे;





"transfer" with its grammatical variations and cognate expressions, includes letting on hire, lending, giving and

parting with possession. (1)

अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, "अन्तरण" के अन्तर्गत भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना और कब्जा विलग करना आता है।

The length of the barrel of a firearm shall be measured from the muzzle to the point at which the charge is exploded on firing.

अग्न्यायुध की नाल की लम्बाई, नालमुख से लेकर उस बिन्दु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है।

Length of Barrel

Charge Caploade







अध्याय 2

ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SALE, IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT
OF ARMS AND AMMUNITION

आयुधों और गोलाबारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन

22 - 3. Licence for acquisition and possession of firearms and ammunition —1

[(1)] No personshall acquire, have in his possession, or carry any firearm or ammunition unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:

Provided that a person may, without himself holding a licence, carry any firearm or ammunition in the presence, or under the written authority, of the holder of the licence for repair or for renewal of the licence or for use by such holder.





Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than

[two fire arm]:

Provided that a person who has in his possession more firearms than three at the commencement of the Arms (Amendment) Act, 1983 (25 of 1983), may retain with him any three of such firearms and shall deposit, within ninety days from such commencement, the remaining firearms with the officer in charge of the nearest police station or, subject to the conditions prescribed for the purposes of sub-section (1) of section 21, with a licensed dealer or, where such person is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury referred to in that sub-section.

Max > 3

Max -> 2

Office 1



THE ARMS ACT, 1959 Bure Act



Provided that a person who has in his possession more firearms than two at the commencement of the Arms (Amendment) Act, 2019, may retain with him any two of such firearms and shall deposit, within one year from such commencement, the remaining firearm with the officer in charge of the nearest police station or, subject to the conditions prescribed for the purposes of sub-section (1) of section 21, with a licensed dealer or, where such person is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury referred to in that sub-section after which it shall be delicensed within ninety days from the date of expiry of aforesaid one year:

Provided further that while granting arms licence on inheritance or heirloom basis, the limit of two firearms shall not be exceeded.

(3) Nothing contained in sub-section (2) shall apply to any dealer in firearms or to any member of a rifle club or rifle association licensed or recognised by the Central Government using a point 22 bore rifle or an air rifle for target practice.





500 A.

Licence for acquisition and possession description in certain cases (कतिपय दशाओं में विनिदिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति-)—If the Central Government is of opinion that having regard to the circumstances prevailing in any area it is necessary or expedient in the public interest that the acquisition, possession or carrying of arms other than firearms should also be regulated, it may, by notification in the Official Gazette direct that this section shall apply to the area specified in the notification, and thereupon no person shall acquire, have in his possession or carry in that area arms of such class or description as may be specified in that notification unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.





यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों से भिन्न आयुधों का भी अर्जन, कब्जे में रखना या वहन विनियमित किया जाना चाहिए, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को यह धारा लागू होगी और तदुपरि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग या वर्णन के आयुध, जैसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं उस क्षेत्र में तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा जब तक कि वह उस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।





Licence for manufacture, sale, etc., of arms and ammunition.—[(1)] No person shall

use, manufacture, obtain, procure, sell, transfer, convert, repair, test or prove, or

- expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof, any firearms or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition, unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:
- 5. आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति.-[(1)] कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किये जाएँ या किसी गोलाबारूद का तब तक
- (क) न तो, उपयोग में लाएगा, 3 विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, या परख या परिसिद्धि करेगा; और न





(ख) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा; जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।





m. G.

Provided that a person may, without himself holding a licence, carry any firearm or ammunition in the presence, or under the written authority, of the holder of the licence for repair or for renewal of the licence or for use by such holder.

परन्तु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद की मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए, उस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन, लेकर वहन कर

सकेगा।





(2)

Notwithstanding anything contained in sub-section (1) no person, other than a person referred to in sub-section (3), shall acquire, have in his possession or carry, at any time, more than [two firearm]:

उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, किसी भी तीन समय तीन अग्न्यायुधों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा:

Provided that a person who has in his possession more firearms than three at the commencement of the Arms (Amendment) Act, 1983 (25 of 1983), may retain with him any three of such firearms and shall deposit, within ninety days from such commencement, the remaining





firearms with the officer in charge of the nearest police station or, subject to the conditions prescribed for the purposes of sub-section (1) of section 21, with a licensed dealer or, where such person is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury referred to in that sub-section.

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसके अपने कब्जे में, आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ पर, तीन से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई तीन अग्न्यायुध प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्न्यायुधों को, ऐसे प्रारम्भ से नब्बे दिन के भीतर, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा।





Provided that a person who has in his possession more firearms than two at the commencement of the Arms (Amendment) Act, 2019, may retain with him any two of such firearms and shall deposit, within one year from such commencement, the remaining firearm with the officer in charge of the nearest police station or, subject to the conditions prescribed for the purposes of sub-section (1) of section 21, with a licensed dealer or, where such person is a member of the armed forces of the Union, in a unit armoury referred to in that sub-section after which it shall be delicensed within ninety days from the date of expiry of aforesaid one year:

Provided further that while granting arms licence on inheritance or heirloom basis, the limit of two firearms shall not be exceeded.



THE ARMS ACT, 1959 excep fion

exception + ? Sees

Nothing contained in <u>sub-section</u> (2) <u>shall apply to any</u> dealer in firearms or to any member of a rifle club or rifle association licensed or recognised by the Central Government using a point 22 bore rifle or an air rifle for target practice.

उपधारा (2) की कोई भी बात अग्न्यायुधों के किसी व्यौहारी को या ऐसे राइफल क्लब या राइफल संगम के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त है, और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता है, किसी सदस्य को लागू नहीं होगी।





(4)

The provisions of sub-sections (2) to (6) (both inclusive) of section 21 shall apply in relation to any deposit of firearms under the proviso to sub-section (2) as they apply in relation to the deposit of any arm or ammunition under sub-section (1) of that section.

धारा 21 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक की उपधाराओं के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों उपधाराएं भी हैं) उपबन्ध, उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अग्न्यायुधों के किसी निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी आयुध या गोलाबारूद के निक्षेप के सम्बन्ध में लागू होते हैं।





5. Licence for manufacture, sale, etc., of arms and ammunition (आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति)—(1) No person shall— (a) [use, manufacture, obtain, procure sell, transfer, convert, repair, test or prove, or

कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारूद का तब तक (क) न तो, [उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा,] विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; और





(b) expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof, any firearm or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition, unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:

न विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो।





(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may, without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to another person who is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this Act or such other law from having in his possession such arms or ammunition:

उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का, जिन्हें वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे आयुधों या गोलाबारूद को, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर, अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार है, या अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, विक्रय या अंतरण कर सकेगा:





Provided that no firearm or ammunition in respect of which a licence is required under section 3 and no arms in respect of which a licence is required under section 4 shall be so sold or transferred by any person unless—

परन्तु किसी ऐसे अग्न्यायुध या गोलाबारूद का, जिसके बारे में धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और किन्हीं ऐसे आयुधों का, जिनके बारे में धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय या अन्तरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक





(a) he has informed in writing the district magistrate having jurisdiction or the officer in charge of the nearest police station of his intention to sell or transfer such firearms, ammunition or other arms and the name and address of the person to whom he intends to sell or transfer such firearms, ammunition or the other arms, and

उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने के अपने आशय की और उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने का वह आशय रखता है, नाम और पते की लिखित इत्तिला न दे दी हो; और





(b) a period of not less than forty-five days has expired after the giving of such information.

ऐसी इत्तिला दी जाने के पश्चात् कम से कम पैंतालीस दिन की अवधि का अवसान न हो गया हो।]





6.

Licence for the shortening of guns or conversion of imitation firearms into firearms (गर्ना के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति)—No person shall shorten the barrel of a firearm or convert an imitation firearm into a firearm or convert from any category of firearms mentioned in the Arms Rules, 2016 into any other category of firearms.

unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.





Explanation (स्पष्टीकरण)—In this section, the expression (imitation firearm) means anything which has the appearance of being a firearm, whether it is capable of discharging any shot, bullet or other missile or not.





Sel. 7.

Prohibition of acquisition or possession, or of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition (प्रतिषिद्ध आयुंधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय का प्रतिषेध)—No person shall— कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को तब तक न तो

- (a) acquire, have in his possession or carry; or अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा या धारण करेगा ; और
- use, manufacture] sell, transfer, convert, repair, test or prove; or

[उपयोग में लाएगा, विनिर्मित], विक्रीत, अन्तरित, संपरिवर्तित करेगा न उसकी मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा; और





expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof, any prohibited arms or prohibited ammunition unless he has been specially authorised by the Central Government in this behalf.

विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा और न विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, तब तक के सिवाय जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत न किया गया हो।





In any person uses any prohibited arms or prohibited ammunitions or does any act in contravention of Section 7 of the Arms Act, 1959 and such use or act results in death of any other person, under which 112 section of the Arms Act, 1959 shall be punishable with death?

यदि कोई व्यक्ति किन्ही प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद को प्रयोग मे लता है या आयुध अधिनियम 1959 की धारा 7 के उल्लंघन मे कोई कार्य करता है और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाति है तो वह आयुध अधिनियम 1959, की किस धारा के अधीन मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा?

- (a) Section 27 (1)
- (b) Section 27 (2)
- (c) Section 27 (3)
- (d) Section 28





8

Prohibition of sale or transfer of firearms not bearing identification marks (जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिह्न न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध)—(1) No person shall obliterate, remove, alter or forge any name, number or other identification mark stamped or otherwise shown on a firearm or ammunition.

कोई भी व्यक्ति किसी अन्यायुध पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न न ते मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा।






(2)

No person shall sell or transfer any firearm which does not bear the name of the maker, manufacturer's number or other identification mark stamped or otherwise shown thereon in a manner approved by the Central Government.

कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे अग्न्यायुध का विक्रय या अन्तरण नहीं करेगा जिसमें निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न मुद्रांकित या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित रीति से उस पर अन्यथा दर्शित न हो।







Whenever any person has in his possession any firearm without such name, number or other identification mark or on which such name, number or other identification mark has been obliterated removed, altered or forged, it shall be presumed unless the contrary is proved, that he has obliterated, removed, altered or forged that name, number or other identification mark:

जब कभी किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसा अग्न्यायुध हो जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-

चिह्न न हो या जिस पर ऐसा नाम, संख्यांक, या अन्य पहचान-चिह्न मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया गया हो, तब उस दशा के सिवाय, जिसमें कि प्रतिकूल साबित कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा, कि वह नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न उसने मिटाया, हटाया, परिवर्तित या कूटरचित किया है:





Provided that in relation to a person who has in his possession at the commencement of this Act any firearm without such name, number or other identification mark stamped or otherwise shown thereon, the provisions of this sub-section shall not take effect until after the expiration of one year from such commencement.

परन्तु यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके कब्जे में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसा अग्न्यायुध है जिसमें ऐसा नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित नहीं है, इस उपधारा के उपबंध तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता।





Prohibition of acquisition or possession by, or of sale or transfer to, young persons and certain other persons of firearms, etc (तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध)—(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Act,—

इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी

(a) no person(कोई भी व्यक्ति)

who has <u>not completed the age</u> of twenty-one years, or

जिसने [इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न की हो ; अथवा





3

(ii)

who has been sentenced on conviction of any offence involving violence or moral turpitude to imprisonment for any term, at any time during a period of five years after the expiration of the sentence, or

किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर जिसमें हिंसा या नैतिक अवचार अन्तर्वलित हो [किसी अवधि के लिए] कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, उस दण्डादेश के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी भी

समय ; अथवा







who has been ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping the peace or for good behaviour, at any time during the term of the bond, shall acquire, have in his possession or carry any firearm or ammunition;

जिसे 'दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो, उस बन्धपत्र की अविध के दौरान किसी समय, कोई अग्न्यायुध या गोलाबारूद अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा और न वहन करेगा;







no person shall sell or transfer any firearm or ammunition to, or convert, repair, test or prove any firearm or ammunition for, any other person whom he knows, or has reason to believe—

कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद विक्रय या अंतरण ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा और न किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद का संपरिवर्तन, मरम्मत, उसकी परख या परिसिद्धि ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए करेगा जिसकी बाबत वह जानता है या वह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह





(i) to be prohibited under clause (a) from acquiring, having in his possession or carrying any firearm or ammunition, or

किसी अग्न्यायुध या गोलाबारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध है, अथवा

to be of unsound mind at the time of such sale or transfer, or such conversion, repair, test or proof.

ऐसे विक्रय या अन्तरण या ऐसे संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के समय विकृतचित्त का है।





(2)

Notwithstanding anything in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1), a person who has attained the prescribed age-limit may use under prescribed conditions such firearms as may be prescribed in the course of his training in the use of such firearms:

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी जिस व्यक्ति ने विहित आयु-सीमा पूरी कर ली है वह विहित शर्तों के अधीन ऐसे अग्न्यायुधों का प्रयोग कर सकेगा जो ऐसे अग्न्यायुधों का उपयोग करने में उसके प्रशिक्षण की चर्या में विहित किए जाएं:





Provided that different age-limits may be prescribed in relation to different types of firearms.

परन्तु विभिन्न प्रकार के अग्न्यायुधों के संबंध में विभिन्न आयु-सीमाएं विहित की जा सकेंगी।







Who is young person under section 9 of Arms Act, 1959?

- (a) Who has not completed the age of 14 years
- (b) Who has not completed the age of 16 years
- (c) Who has not completed the age of 18 years
- (d) Who has not completed the age of 21 years





Sur 10.

Licence for import and export of arms, etc (आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति-)—(1) No person shall bring into, or take out of, India by sea, land or air any arms or ammunition unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:

कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोलाबारूद को समद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा जब तक कि बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति तन्निमित्त नहीं रखता हो:





Provided that—

(a) a person who is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this Act or such other law from having, in his possession any arms or ammunition, may without a licence in this behalf bring into, or take out of, India such arms or ammunition in reasonable quantities for his own private use;

वह व्यक्ति, जो कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर हकदार है या इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए युक्तियुक्त मात्रा में ऐसे आयुध या गोलाबारूद इस निमित्त अनुज्ञप्ति के बिना भारत में ला सकेगा या वहां से बाहर ले जा सकेगा;





(b) a person being a bona fide tourist belonging to any such country as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, who is not prohibited by the laws of that country from having in his possession any arms or ammunition, may, without a licence under this section but in accordance with such conditions as may be prescribed, bring with him into India arms and ammunition in reasonable quantities for use by him for purposes only of sport and for no other purpose;

वह व्यक्ति जो वास्तविक पर्यटक है और किसी ऐसे देश का है जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और जो आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखने के लिए उस देश की विधियों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, वह केवल आखेट के प्रयोजनों के लिए न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपने उपयोग के वास्ते युक्तियुक्त मात्रा में आयुध और गोलाबारूद इस धारा के अधीन वाली अनुज्ञप्ति के बिना किन्तु ऐसी शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाएं, अपने साथ भारत में ला सकेगा।





Explanation(स्पष्टीकरण)—For purposes of clause (b) of this proviso, the word "tourist" means a person who not being a citizen of India visits India for a period not exceeding six months with no other object than recreation, sight-seeing, or participation in a representative capacity in meetings convened by the Central Government or in international conferences, associations or other bodies.

इस परन्तुक के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए "पर्यटक" शब्द से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक न होते हुए, आमोद-प्रमोद, दृश्य-दर्शन या केन्द्रीय सरकार द्वारा बुलाए गए अधिवेशनों में या अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों या अन्य निकायों में प्रतिनिधि की हैसियत में भाग लेने से भिन्न उद्देश्य न रखते हुए छह मास से अनिधक कालाविध के लिए भारत आता है।





Notwithstanding anything contained in the proviso to (2) sub-section (1), where the Commissioner of Customs or any other officer empowered by the Central Government in this behalf has any doubt as to the applicability of clause (a) or clause (b) of that proviso to any person who claims that such clause is applicable to him, or as to the reasonableness of the quantities of arms or ammunition in the possession of any person referred to in such clause, or as to the use to which such arms or ammunition may be put by such person, may detain the arms or ammunition in the possession of such person until he receives the orders of the Central Government in relation thereto.





उपधारा (1) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहां कि उस परन्तुक के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के किसी ऐसे व्यक्ति को लागू होने के बारे में जो यह दावा करता है कि ऐसा खण्ड, उसे लागू है, या ऐसे खण्ड में निर्दिष्ट व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोलाबारूद की मात्राओं की युक्तियुक्तता के बारे में या ऐसे आयुध या गोलाबारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस उपयोग में लाए जा सकेंगे उसके बारे में कोई शंका, सीमाशुल्क कलक्टर या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य आफिसर को हो, वहां ऐसे व्यक्ति के कब्जे में के आयुध या गोलाबारूद को तब तक के लिए निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि वह उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेश प्राप्त नहीं कर लेता।





(3) Arms and ammunition taken from one part of India to another by sea or air or across any intervening territory not forming part of India, are taken out of, and brought into, India within the meaning of this section.

समुद्र या वायु मार्ग द्वारा या भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती राज्यक्षेत्र को पार करके भारत के एक भाग से दूसरे को ले जाए गए आयुध और गोलाबारूद, इस धारा के अर्थ के अन्दर भारत के बाहर ले जाए जाते हैं या भारत में लाए जाते हैं।





Under section 10 of the Arms Act, the word 'Tourist' means a person who visit India for a period not exceeding:

- (a) 2 Months
- (b) 3 Months
- (c) 6 Months
- (d) 1 Months





11. Power to prohibit import or export of arms, etc (आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति)—The Central Government may, by notification in the Official Gazette, prohibit the bringing into, or the taking out of, India, arms or ammunition of such classes and descriptions as may be specified in the notification.

केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारूद को, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत के अन्दर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेगी।





12. Power to restrict or prohibit transport of arms (आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति)—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette,—

केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा





(a) direct that no person shall transport over India or any part thereof arms or ammunition of such classes and descriptions as may be specified in the notification unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder; or

निदेश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्गों और वर्णनों के आयुधों या गोलाबारूद का, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त नहीं रखता हो, अथवा






- (b) prohibit such transport altogether.
 - ऐसे परिवहन का पूर्णत: प्रतिषेध कर सकेगी।
- (2) Arms or ammunition trans-hipped at a seaport or an airport in India are transported within the meaning of this section.

जिन आयुधों या गोलाबरूद का भारत के समुद्र पत्तन या विमान पत्तन में यानान्तरण किया जाता है, उनका इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है।





CHAPTER III











After inquiry in writing = Licensing authority shall order (जांच के बाद आदेश द्वारा) (अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित)

Grand the licence (अनुज्ञप्ति अनुदत्त

Refuse to grant licence (अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इन्कार करेगा)





Does not send report: Licensing authority (रिपोर्ट नहीं भेजता है) :

I

After expiry of prescribed time (विहित समय के अवसान के पश्चात्)




Without waiting make order as he deems fit. (बिना प्रतीक्षा किये जैसा वह उचित समझे आदेश दे सकेगा)









Sec. 13(3): Licensing authority shall grant a licence u/s 3 (अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अनदत्त करेगा)





- (3) The licensing authority shall grant— अनुज्ञापन प्राधिकारी
- (a) a licence under section 3 where the licence is required— धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति—
- (i) by a citizen of India in respect of a smooth bore gun having a barrel of not less than twenty inches in length to be used for protection or sport or in respect of a muzzle loading gun to be used for bona fide crop protection:

संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए बीस इंच से अन्यून लम्बी नाल वाली चिकने बोर की बन्दूक के संबंध में या फसल संरक्षा के लिए सद्भाविक उपयोग में लाई जाने के लिए नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए :





Provided that where having regard to the circumstances of any case, the licensing authority is satisfied that a muzzle loading gun will not be sufficient for crop protection, the licensing authority may grant a licence in respect of any other smooth bore gun as aforesaid for such protection; or

परन्तु जहां कि किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हए, अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए, कि नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त न होगी, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी संरक्षा के लिए यथापूर्वोक्त किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा, अथवा





 (ii) in respect of a '[firearm] to be used for target practice by a member of a rifle club or rifle association licensed or recognised by the Central Government;


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए पाइंट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल के सम्बन्ध में अपेक्षित की जाए :

(b) a licence under section 3 in any other case or a licence under section 4, section 5, section 6, section 10 or section 12, if the licensing authority is satisfied that the person by whom the licence is required has a good reason for obtaining the same.

किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति या धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 10 या धारा 12 के अधीन की अनुज्ञप्ति उस दशा में अनुदत्त करेगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसे अभिप्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।



















SPECIAL CLASS FEATURES





Attend Live Class, participate in Live Chat and get your doubts cleared - all during the class.

Polls for Learners



Respond to polls for a better understanding of a topic.

Raise A Hand



Talk with educators in Live Classes and get the doubts resolve in real time.

Never Miss a Class



Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated for you.

Lecture Notes



Download lecture notes and get access to recorded sessions of Live Classes. Revisit important topics whenver you need.


Anytime/ Anywhere



Watch our Live Classes anytime from anywhere from any of your device.
























Opportunity for all Learners to report any inappropriate content in the

video

Be the first one to report a particular issue to claim your prize

Report any inappropriate content using the form in the description



Linking Laws Anoil Sir.